



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012023-242163
CG-DL-E-23012023-242163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]
No. 361]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2023/माघ 3, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2023/MAGHA 3, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

का. आ. 375(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, कर्नाटक राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्रीमती बनुप्रिया एच., तहसीलदार ग्रेड - 2, कर्नाटक सरकार को, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. कर्नाटक राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड के लिए दिनांक 12.02.2021 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 09.02.2021 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 651(अ) द्वारा पूर्व में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, श्रीमती मदुरा के. देशपांडे, सहायक आयुक्त, कर्नाटक सरकार को निरस्त किया जाता है।

3. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/112/2017-जीपी - II(ई-45566)]

एम. आर. नाजमी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLIUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th January, 2023

S.O. 375(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. Banupriya H., Tehsildar Grade – 2, Government of Karnataka to perform the functions of Competent Authority on deputation basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Karnataka.

2. Earlier notified Competent Authority for M/s. GAIL (India) Limited in the State of Karnataka, Smt. Madura K. Deshpande, Assistant Commissioner, Government of Karnataka, vide S.O. 651(E) dated 09.02.2021 published in the Extraordinary Gazette of India dated 12.02.2021 stands de-notified.

3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/112/2017-GP-II(E-45566)]

M. R. NAZMI, Under Secy.